

कम्प्यूटर परिपत्र संख्या- 1920014
पत्रसंख्या- फार्म-अनु0- आ0घो0प0सं0-2019-20 /

68, / वाणिज्य कर,
कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, 30 प्र0 लखनऊ
(फार्म अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 10-5-2019

:-विज्ञप्ति :-

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली -2008 के नियम 56 के उपनियम (12) में कमिश्नर, वाणिज्य कर को प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत में एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित सूची में उल्लिखित आयात घोषणा पत्रों के विवरण निम्नवत प्रकाशित करता हूँ जिसके खो जाने / चुरा लिये जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम-56 के उपनियम (9) के अंतर्गत सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, को तात्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ।

क्र0सं0	व्यापारियों का नाम व पता	फार्मों की संख्या	आयात घोषणा पत्रों / ओ0सी0स्टैम्प की सीरीज एवं क्रमांक
1	सर्वश्री गोयल एडिबिल्स लिमिटेड केडिया भवन इस्माइलपुर-गोरखपुर टिन-09920100762	फार्म-38 07	G / GG0971915, F/ RR 1496130, 18013600218857, 18012800327248, 18017100327250, 18016800327253, 18011700527401
2	सर्वश्री अंकुर उद्योग लिमिटेड, नकहा नम्बर-02 निकट फर्टिलाइजर फैक्ट्री, गोरखपुर। टिन-09118702264	फार्म-38 03	30497322, 0897879, 0897891

(अजीत कुमार शुक्ला)

एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त :-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) अधीक्षक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, 30 प्र0 इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित विज्ञप्ति का प्रकाशन साप्ताहिकी साधारण गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

- (2) समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर / समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक / वि०अनु०शा०) वा०कर उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि अपने-अपने सम्भागों से सम्बन्धित अधिकारियों को छाया प्रति भिजवाने का कष्ट करें।
- (3) डिप्टी कमिश्नर (उ०न्या०कार्य०) इलाहाबाद लखनऊ।
- (4) समस्त डिप्टी कमिश्नर (क०नि०) / असिस्टेन्ट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी / मण्डल / उपमण्डल खण्ड, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि इन खोए हुए / नष्ट हुए फार्म के सम्बन्ध में मुख्यालय के परिपत्र संख्या (विधि-2 सत्यापन) (85-86)-201 / बिक्रीकर दिनांक 23-1-85 एवं परिपत्र सं०-फार्म -31(91-92)-फार्म मुद्रण-865 / बिक्रीकर दिनांक 2-11-91 के अनुसार कार्यवाही / अनुपालन / किया जाना सुनिश्चित करें।
- (5) समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी / स०द०, वा०क० उत्तर प्रदेश।
- (6) मुख्यालय के समस्त अनुभाग अधिकारी।
- (7) विधि / मैनुअल / नई इकाई को पाँच पाँच प्रतियाँ।
- (8) सूचना केन्द्र अनुभाग मुख्यालय को 10 अतिरिक्त प्रतियाँ।
- (9) पी०एस० जैन अधिवक्ता सदस्य, उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय वाणिज्य कर सलाहकार समिति -ए 138 ए सेक्टर-27 नोएडा।
- (10) श्री मनीष शर्मा, ला एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस, आर०-15/ 5 राजनगर, गाजियाबाद।
- (11) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिकेशन, RD-51 राजनगर, गाजियाबाद।
- (12) महालेखाकार (कार्मशियल एवं रिसीट ऑडिट) यू०पी०, 6 फ्लोर, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
- (13) समस्त नोडल अधिकारी वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।



(आनन्द पाण्डेय)

ज्वाइंट कमिश्नर (फार्म) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।